115

मा/निग0/रीवा/भू-प्र0/2017/2908

न्यायालय माननीय मध्यप्रदेश, राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

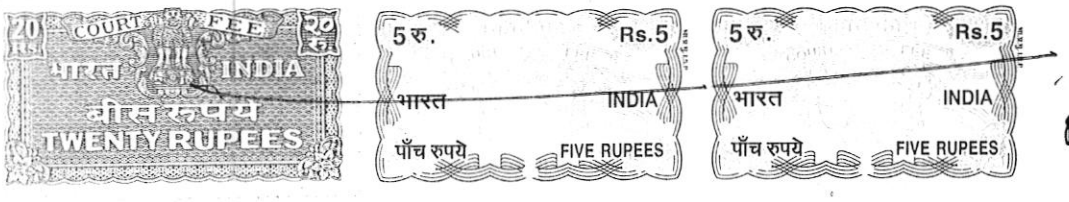

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs-30/-

राजमणि तनय सरजूप्रसाद ब्रा0 निवासी ग्राम बंजारी तह0गुढ जिला रीवाम0प्र0
निगरानीकर्ता

वनाम

1. अरूण कुमार तनय कृष्ण प्रसाद ब्रा0 निवासी ग्रामबंजारी तह0गुढजिलारीवाम0प्र0
2. शासनम0प्र0

गैरनिगरानीकर्तागण

अधि0श्री सी.पी.मिश्रा. द्वारा पेश/28.8.17

निगरानी विरूद्व आदेश श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदयसर्किलगुढ तह0गुढ जिलारीवाम0प्र0 प्र0क0 15अ12/2016.17 आदेश दिनांक 21.6.2017

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता1959

कलर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य यहै कि गैर निगरानीकर्ता अरूण कुमार ने अपनी भूमि खसराक 330 335 का सीमांकन कराए जानेहेतु राजस्व निरीक्षक सर्किल गुढ़को आवेदन पत्र दिया राजस्व निरीक्षक महोदय ने पटवारीहल्का बंजारी को सीमांकन करनेहेतुआदेशित किया पटवारी हल्का बंजारी द्वारा बिना मुश्तकिल सीमाचिन्ह से पैमाइस आरम्भ किए एवं बिना निगरानी कर्ता जो सरहदी काश्तकार है को सीमांकन के वक्त उपस्थित होनेकेलिए सूचना दिए ममनमानी तरीके से सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक गुढ को प्रेषित किया एवं राजस्व निरीक्षक महोदय ने निगरानी कर्ता द्वारा की गई आपत्तियों पर गौर न करतेहुए एवं बिना सुनवाई का अवसर दिए पटवारी हल्का द्वारा किये गये सीमांकन को प्रमाणित करनेका आदेश दिया जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता अन्य के अलावा निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत करता है।

1. यह किअधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीतहोने से निरस्त किएजाने योघ्यहै।
2. यहकि अधीनस्थ न्यायालय ने सीमांकन प्रमाणीकरण करने के पूर्व इस विधिक बिन्दु पर विचार नहींकिया कि निगरानीकर्ता एक सरहदी काश्तकार हैजिसके पट्टे की भूमि आराजी नं 331 332 सीमांकिन भूमि से लगी हुई है उसे पटवारी हल्का बंजारी द्वारा सीमांकन के समय उपस्थित होनेकेलिए कोई सूचना पत्र नहीं दियागया एवं निगरानीकर्ताको विना सूचना पत्र दिए आराजीनं 331, 332 पटवारी हल्का बंजारी द्वारा किया गया व 2750 वर्गफिट गैर निगरानीकर्ताकी भूमि मेंनापकर विवाद

... गुढ तह0गुढ को ... प्रमाणीकरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2908

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-03-18	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त गुढ तहसील गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण कमांक 15 अ 12/16–17 में पारित आदेश दिनाक 21–6–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–1 ने मौजा बंजारी की आराजी कमांक 330 एंव 335 के सीमांकन की मांग की, जिस पर राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक कमांक 15 अ–12/14–15 पॅजीबद्व किया तथा सीमांकन की मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी कराई। हलका पटवारी ने दिनांक 27–5–17 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया, जिस पर ग्राम के आवेदक एंव अन्य व्दारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । सीमांकन पर आपत्ति न आने से राजस्व निरीक्षक ने आपतित्कर्ताओं को सुनकर आदेश दिनांक 21–6–17 पारित करके आपत्तिक5र्ताओं की आपत्ति अमान्य करते हुये सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी ने आवेदक को सूचना दिये बिना अनावदेक से मिलकर गलत तरीके से सीमांकन किया है एंव मौके की स्थिति के मान से सीमांकन नहीं किया है। अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है । आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के नाम भूमिस्वामी	

स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने कर वह अधिकारी हैं। यदि आवेदक स्वयं की भूमि को अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से प्रभावित होना मानता हैं, तब वह आर.आई. से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनांक 21–6–17 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य